

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 258*
12 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए
विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्यों का विकास

*258. श्रीमती कमलेश जांगडे:

श्री मनोज तिवारी:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) तथा अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत विशेषतः भीलवाड़ा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राजस्थान तथा देश भर में राज्य-वार प्रदत्त फायदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) छत्तीसगढ़ में उक्त कार्यक्रमों सहित विभिन्न कार्यक्रमों के तहत किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का छत्तीसगढ़ में किसी विशेष अभियान के तहत विकास कार्य करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) शहरी क्षेत्रों में युवाओं की शिक्षा/कौशल और रोजगार के अवसरों में सुधार के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के तहत क्या पहल की गई है/उपाय किए गए हैं; और

(ङ) राजस्थान में उक्त उपायों में सरकार द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य मंत्री
(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

'विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्यों का विकास' के संबंध में 12 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 258 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख): सातवीं और बारहवीं अनुसूची के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के प्रावधानों के अनुसार, शहरी विकास से संबंधित मामले राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अपने प्रमुख मिशनों/कार्यक्रमों जैसे प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू), दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) आदि के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को उनके शहरी विकास एजेंडे में कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, पीएमएवाई-यू, डीएवाई-एनयूएलएम और अमृत 2.0 के तहत देश भर में पिछले 3 वर्षों के दौरान दिए गए लाभों का छत्तीसगढ़, राजस्थान और भीलवाड़ा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य-वार विवरण क्रमशः अनुलग्नक-1, 2 और 3 में दिया गया है।

(ग): अमृत 2.0 सुधारों के अंतर्गत, जल क्षेत्र में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए 'अमृत मित्र' पहल शुरू की गई है। यह पहल जल गुणवत्ता परीक्षण, बिल संग्रहण/वितरण, जल शोधन संयंत्रों (डब्ल्यूटीपी)/सीवेज शोधन संयंत्रों (एसटीपी)/ फिकल स्लज शोधन संयंत्रों (एफएसटीपी), पार्कों, जलाशयों आदि के रखरखाव जैसे कार्यों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देती है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों को अनुमोदित किया है, जिनमें 117.50 करोड़ रु. की लागत वाली 1,426 परियोजनाएं शामिल हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 19.87 करोड़ रु. जारी किए जा चुके हैं। अब तक कुल 4,800 स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में 115.76 लाख रुपये की लागत वाली 15 परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं और 113.01 लाख रुपये का कार्य आदेश जारी किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में शुरू की गई अमृत मित्र परियोजनाओं का विवरण अनुलग्नक-4 में दिया गया है।

(घ) और (ड) डीएवाई-एनयूएलएम के कौशल प्रशिक्षण और रोजगार (ईएसटीएंडपी) घटकों के माध्यम से रोजगार के तहत, शहरी गरीबों को स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके साथ ही, डीएवाई-एनयूएलएम ट्यूलिप इंटरनेशिप (शहरी शिक्षण इंटरनेशिप कार्यक्रम) की अवधारणा शहर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और राष्ट्रीय

स्तर पर शहरी सुधार प्रक्रिया से देश के युवाओं को रणनीतिक रूप से जोड़ने के लिए तैयार की गई थी। यह इंटरनेशनल कार्यक्रम डीएवाई-एनयूएलएम और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के सहयोग से तैयार किया गया था । राजस्थान में हुई वास्तविक प्रगति इस प्रकार है (जिले-वार डेटा नहीं रखा जाता है):

गठित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्या	:	34,637
परिक्रामी निधि पाने वाले स्वयं सहायता समूहों की संख्या	:	26,689
कौशल प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या	:	51,887
रोजगार पाने वाले कुशल उम्मीदवारों की संख्या	:	24,058
व्यक्तिगत/सामूहिक सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए	:	33,535
सहायता पाने वाले लाभार्थियों की संख्या		
बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूहों को	:	3,770
संवितरित ऋणों की संख्या		

इसी प्रकार अमृत 2.0 सुधारों के अंतर्गत, जल क्षेत्र में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए 'अमृत मित्र' पहल की शुरुआत की गई है। यह पहल जल गुणवत्ता परीक्षण, बिल संग्रहण/वितरण, जल शोधन संयंत्रों (डब्ल्यूटीपी)/सीवेज शोधन संयंत्रों (एसटीपी)/ फिकल स्लज शोधन संयंत्रों (एफएसटीपी), पार्कों, जलाशयों आदि के रखरखाव जैसे कार्यों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देती है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों को अनुमोदित किया है, जिनमें 117.50 करोड़ रु. की लागत वाली 1,426 परियोजनाएं शामिल हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 19.87 करोड़ रु. जारी किए जा चुके हैं। अब तक कुल 4,800 स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। राजस्थान में 3.93 करोड़ रु. की कुल 60 परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं। 168.36 लाख रु. का कार्य आदेश जारी किया जा चुका है। राजस्थान में शुरू की गई अमृत मित्र परियोजनाओं का विवरण अनुलग्नक 5 में है।

'विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्यों का विकास' के संबंध में 12 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 258 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुलग्नक -1

प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू)

पीएमएवाई-यू के तहत पिछले तीन वर्षों (वित्त वर्ष 2021-24) के दौरान स्वीकृत और जारी की गई केंद्रीय सहायता के साथ-साथ स्वीकृत, निर्माणाधीन, पूर्ण/ लाभार्थियों को सौंपे गए आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.		राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत अग्रस्त (संख्या)	निर्माणाधीन आवास (संख्या)*	पूर्ण/सौंपे गए आवास (संख्या)*	स्वीकृत केंद्रीय सहायता (करोड़ रु. में)	जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रु. में)**
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	7,22,004	7,60,677	5,64,889	10,991.94	13,718.35
2		बिहार	28,705	1,06,086	45,307	487.97	917.27
3		छत्तीसगढ़	1,02,147	94,965	92,920	1,677.62	1,570.69
4		गोवा	639	642	640	16.54	16.54
5		गुजरात	3,34,461	3,33,422	3,92,649	7,909.63	8,763.09
6		हरियाणा	12,411	16,812	24,251	303.26	499.55
7		हिमाचल प्रदेश	4,056	3,851	4,840	69.09	76.09
8		झारखंड	64,472	69,974	43,774	995.49	728.06
9		कर्नाटक	92,878	1,62,393	1,06,663	1,603.75	2,292.57
10		केरल	52,076	35,418	30,214	893.02	846.00
11		मध्य प्रदेश	2,62,098	2,61,363	3,48,765	4,594.36	6,023.71
12		महाराष्ट्र	4,17,548	4,16,468	4,10,215	8,825.47	8,774.84
13		ओडिशा	74,191	54,015	50,869	1,139.44	922.54
14		पंजाब	36,673	38,975	42,377	731.28	785.05
15		राजस्थान	1,74,974	1,31,589	77,871	3,159.12	2,377.61
16		तमिलनाडु	1,20,002	1,14,775	1,76,495	2,140.82	3,178.64
17		तेलंगाना	26,939	25,088	38,694	604.10	973.89
18		उत्तर प्रदेश	4,09,748	4,77,078	6,83,663	6,540.08	10,656.87
19		उत्तराखंड	28,351	30,487	14,497	484.39	393.82
20		पश्चिम बंगाल	1,76,379	2,49,250	1,55,717	2,947.33	2,514.78
उप- कुल (राज्य)			31,40,752	33,83,328	33,05,310	56,114.70	66,029.96
21	राज्य पूर्वी	अरुणाचल प्रदेश	2,512	2,124	5,247	37.79	42.74
22		असम	59,630	61,104	71,707	900.54	973.77
23	उत्तर	मणिपुर	6,041	12,140	9,054	90.90	134.91

24		मेघालय	10	2,866	839	0.36	35.12
25		मिजोरम	1,130	21,742	4,471	20.54	222.02
26		नागालैंड	4	7,594	16,463	0.09	120.62
27		सिक्किम	63	73	63	2.03	2.03
28		त्रिपुरा	20,754	21,359	18,875	317.55	215.05
उप- कुल (उ.पु. राज्य)			90,144	1,29,002	1,26,719	1,369.80	1,746.26
29	संघ र	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2	331	4	0.06	2.03
30		चंडीगढ़	269	269	269	6.67	6.67
31		दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव	2,474	2,736	3,988	61.40	61.40
32		दिल्ली	4,476	4,476	4,476	113.37	113.37
33		जम्मू एवं कश्मीर	16,699	11,470	14,076	255.15	163.65
34		लद्दाख	3	3	377	0.07	6.37
35		लक्षद्वीप	-	-	0	-	-
36		पुदुचेरी	4,007	3,050	4,375	64.96	72.21
उप- कुल (यूटी) : -			27,930	22,335	27,565	501.68	425.70
कुल योग : -			32,58,826	35,34,665	34,59,594	57,986.18	68,201.92

* इसमें इस वर्ष निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुके वे आवास भी शामिल हैं, जिन्हें पिछले वर्षों में स्वीकृत किया गया था।

** इसमें पिछले वर्षों में आवासों के लिए स्वीकृत केन्द्रीय सहायता में से इस वर्ष के दौरान जारी केन्द्रीय सहायता भी शामिल है।

**पीएमएवाई-यू के अंतर्गत भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र (राजस्थान) में पिछले
तीन वर्षों (2021-24) के दौरान स्वीकृत आवासों के निर्माण कार्यों की
वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति**

क्र.सं.	विवरण	पीएमएवाई-यू के अंतर्गत उपलब्धि
1	स्वीकृत आवास(संख्या में)	7,771
2	निर्माणाधीन आवास(संख्या)	7,369
3	आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण (संख्या में)	5,828
4	स्वीकृत केंद्रीय सहायता (करोड़ रु. में)	163.189
5	जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रु. में)	156.249

**पीएमएवाई-यू के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में शुरुआत से
स्वीकृत आवासों के निर्माण की वास्तविक एवं वित्तीय
प्रगति**

क्र.सं.	विवरण	पीएमएवाई-यू के अंतर्गत उपलब्धि
1	स्वीकृत आवास(संख्या में)	3,02,663
2	निर्माणाधीन आवास(संख्या)	2,85,324
3	आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण (संख्या में)	2,46,352
4	स्वीकृत केंद्रीय सहायता (करोड़ रु. में)	4,810.98
5	जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रु. में)	4,266.60

'विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्यों का विकास' के संबंध में 12 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 258 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुलग्नक - 2

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएआई-एनयूएलएम)

डीएआई-एनयूएलएम के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों (2021-22 से 2023-24) के दौरान राज्य-वार वास्तविक प्रगति							
क्र. सं.	राज्य का नाम	गठित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्या	रिवाल्विंग फंड पाने वाले स्वयं सहायता समूहों की संख्या	कौशल प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या	रोजगार पाने वाले कुशल उम्मीदवारों की संख्या	व्यक्तिगत/समूह सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता पाने वाले लाभार्थियों की संख्या	बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूहों को संवितरित ऋणों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	19489	27	610	134	24192	74483
2	अरुणाचल प्रदेश	213	153	1455	686	4	5
3	असम	7328	7127	24112	10985	3398	2401
4	बिहार	15642	12632	12184	4558	5207	7270
5	छत्तीसगढ़	9059	7707	68	484	16162	3810
6	गोवा	699	202	1967	2456	54	6.5
7	गुजरात	14231	11154	47830	12358	12337	4472
8	हरियाणा	3350	2434	13695	2548	3230	323
9	हिमाचल प्रदेश	1269	1654	3780	2280	1127	369
10	जम्मू और कश्मीर	1879	981	2319	1045	5068	81
11	झारखंड	10374	8694	17153	7636	6277	2465
12	कर्नाटक	18030	11493	11683	1489	9197	2416
13	केरल	5155	9162	6618	4568	6373	9304
14	मध्य प्रदेश	33606	17930	90503	45604	30648	7579
15	महाराष्ट्र	37533	31430	20003	6820	17776	20217
16	मणिपुर	705	0	10243	9397	129	30.5
17	मेघालय	183	52	1775	1113	25	0
18	मिजोरम	389	377	3261	1713	325	46
19	नागालैंड	108	39	582	315	109	0
20	ओडिशा	6542	4936	0	0	16475	5779
21	पंजाब	3920	1646	54521	35639	4538	88
22	राजस्थान	11785	8263	38412	12723	7834	1013
23	सिक्किम	59	34	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	58258	54176	37182	34151	86703	49084

25	तेलंगाना	10746	8173	413	0	4003	33470
26	त्रिपुरा	3043	2930	52	280	1246	2090
27	उत्तर प्रदेश	37097	21442	62369	32017	31619	4670
28	उत्तराखंड	2313	1977	2207	617	3275	305
29	पश्चिम बंगाल	19032	19885	10167	3456	7282	13680
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	45	40	143	0	3	1
31	चंडीगढ़	340	277	4829	2603	259	0
32	दिल्ली	981	234	1458	694	994	1
33	पुदुचेरी	383	375	3180	345	151	173
34	लद्दाख	57	37	0	0	17	0
	कुल	3,33,843	2,47,673	4,84,774	2,38,714	3,06,037	2,45,626

‘विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्यों का विकास’ के संबंध में 12 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 258 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुलग्नक-3

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0

अमृत 2.0 के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की प्रगति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित		पूर्ण हो चुके कार्यों की लागत (करोड़ रु.)
	परियोजनाओं के लिए स्वीकृत राज्य जल कार्य योजनाएं	लागत (करोड़ रु.)	
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	34.90	
आंध्र प्रदेश	552	8,517.69	429.07
अरुणाचल प्रदेश	19	185.02	3.14
असम	60	961.98	37.01
बिहार	64	8,481.14	
चंडीगढ़	6	175.94	28.20
छत्तीसगढ़	111	2,541.68	199.99
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1	63.47	
दिल्ली	89	2,499.05	245.74
गोवा	24	173.42	10.66
गुजरात	922	17,717.74	3,540.97
हरियाणा	57	1,727.36	190.17
हिमाचल प्रदेश	49	321.66	60.20
जम्मू और कश्मीर	153	1,665.11	5.76
झारखंड	113	4,202.53	72.96
कर्नाटक	703	10,274.13	858.90
केरल	740	3,743.43	414.45
लद्दाख	3	195.05	
मध्य प्रदेश	1,273	12,963.14	412.11
महाराष्ट्र	303	31,722.23	3,873.61
मणिपुर	32	155.73	1.36
मेघालय	1	121.00	91.96
मिजोरम	166	157.78	40.54
नागालैंड	64	218.90	
ओडिशा	348	3,940.98	1,276.09
पुदुचेरी	19	189.68	55.58
पंजाब	195	3,659.47	15.24
राजस्थान	321	10,823.72	1,432.32

सिक्किम	8	49.41	17.52
तमिलनाडु	1,270	14,687.83	4,809.45
तेलंगाना	252	9,584.26	69.06
त्रिपुरा	18	191.53	113.85
उत्तर प्रदेश	654	26,626.97	3,476.53
उत्तराखंड	19	263.04	48.89
पश्चिम बंगाल	388	10,621.59	1,184.99
कुल योग	8,998	1,89,458.55	23,016.30

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र में 505.14 करोड़ रुपये की लागत वाली 17 परियोजनाएं अनुमोदित की जा चुकी हैं, जिसमें 242.89 करोड़ रुपये की 14 जलापूर्ति परियोजनाएं, 258.55 करोड़ रुपये की 2 सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं तथा 3.7 करोड़ रुपये की एक जलाशय पुनरुद्धार परियोजना शामिल है। 258.55 करोड़ रुपये की 2 सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाओं के ठेके दिए जा चुके हैं तथा शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य में 2,541.68 करोड़ रु. की लागत वाली 111 परियोजनाओं के लिए राज्य जल कार्य योजनाएं अनुमोदित की जा चुकी हैं, जिसमें 1,716.5 करोड़ रु. की लागत वाली 46 जलापूर्ति परियोजनाएँ, 775.5 करोड़ रु. की लागत वाली 5 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएँ और 49.68 करोड़ रु. की लागत वाली 60 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाएँ शामिल हैं। 1,022.98 करोड़ रु. की लागत वाली 22 परियोजनाओं के ठेके दिए जा चुके हैं। राज्य ने बताया है कि 199.99 करोड़ रु. के कार्य पूरे हो चुके हैं।

'विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्यों का विकास' के संबंध में 12 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 258 के उत्तर के भाग (ग) में संदर्भित अनुलग्नक - 4

छत्तीसगढ़ में शुरू की गई अमृत मित्र परियोजनाओं का विवरण

क्र. सं.	ज़िला	शहरी स्थानीय निकाय	परियोजना का शीर्षक	परियोजना का प्रकार	परियोजना की लागत (लाख रु. में)
1	सरगुजा	अंबिकापुर	वार्ड क्रमांक 7 और 18 में 2 उद्यानों का रखरखाव	गैर-तकनीकी	6
2	सरगुजा	अंबिकापुर	वार्ड क्रमांक 4 में 2 उद्यानों का रखरखाव	गैर-तकनीकी	6.5
3	सरगुजा	अंबिकापुर	वार्ड क्रमांक 12 और 15 में 2 उद्यानों का रखरखाव	गैर-तकनीकी	5.5
4	सरगुजा	अंबिकापुर	वार्ड नं. 30 में उद्यान का रखरखाव	गैर-तकनीकी	6
5	सरगुजा	अंबिकापुर	वार्ड नं. 41 में उद्यान का रखरखाव	गैर-तकनीकी	6
6	सरगुजा	अंबिकापुर	वार्ड क्रमांक 5, 15, 17, 35 एवं 45 में जल नमूना संग्रहण कार्य	गैर-तकनीकी	8.64
7	सरगुजा	अंबिकापुर	वार्ड क्रमांक 2, 9, 11, 13 एवं 14 में जल नमूना संग्रहण कार्य	गैर-तकनीकी	8.64
8	सरगुजा	अंबिकापुर	वार्ड क्रमांक 7, 20, 23, 41 में जल नमूना संग्रहण कार्य	गैर-तकनीकी	8
9	रायपुर	रायपुर	रायपुर के जोन 7 और 8 का जल नमूना संग्रहण	गैर-तकनीकी	8.64
10	रायपुर	रायपुर	रायपुर के जोन 1,2 और 4 का जल नमूना संग्रहण	गैर-तकनीकी	8.64
11	रायपुर	रायपुर	रायपुर के ,जोन 9, जल नमूना संग्रहण	गैर-तकनीकी	8.64
12	रायपुर	रायपुर	रायपुर के जोन 3 और 10, जल नमूना संग्रहण	गैर-तकनीकी	8.64
13	रायपुर	रायपुर	रायपुर में 3 उद्यानों (उध्या सोसायटी, कबीर नगर चरण-1 और 2) का रखरखाव	गैर-तकनीकी	8.64
14	रायपुर	रायपुर	रायपुर में 3 उद्यानों (इंद्रावती कॉलोनी, राम कृष्ण अस्पताल, अवंती विहार) का रखरखाव	गैर-तकनीकी	8.64
15	रायपुर	रायपुर	रायपुर में 3 उद्यानों (देवेंद्र नगर, सरजू तालाब, एमआर कॉलोनी) का रखरखाव	गैर-तकनीकी	8.64

'विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्यों का विकास' के संबंध में 12 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 258 के उत्तर के भाग (घ) और (ड.) में संदर्भित अनुलग्नक - 5

राजस्थान में शुरू की गई अमृत मित्र परियोजनाओं का विवरण

क्र. सं.	ज़िला	शहरी स्थानीय निकाय	परियोजना का शीर्षक	परियोजना का प्रकार	परियोजना की लागत (लाख रु. में)
1	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़ (एम सी एल)	जल बिलों का वितरण और शुल्कों का संग्रहण	तकनीकी	4.98
2	चुरू	चुरू (एम सी एल)	मुख्य पार्क अग्रसेन नगर का संचालन एवं रखरखाव	गैर-तकनीकी	9.13
3	चुरू	चुरू (एम सी एल)	वन विहार कॉलोनी में पार्क का संचालन एवं रखरखाव	गैर-तकनीकी	9.43
4	चुरू	चुरू (एम सी एल)	गांधी नगर पार्क का संचालन एवं रखरखाव	गैर-तकनीकी	10
5	चुरू	चुरू (एम सी एल)	इंदरमणि पार्क का संचालन और रखरखाव	गैर-तकनीकी	10
6	चुरू	चुरू (एम सी एल)	हाउसिंग बोर्ड पार्क का संचालन एवं रखरखाव -1	गैर-तकनीकी	10
7	चुरू	चुरू (एम सी एल)	सैनिक बस्ती पार्क का संचालन एवं रखरखाव -2	गैर-तकनीकी	10
8	भरतपुर	भरतपुर (एम सी एल)	नगर निगम भरतपुर (ग्रुप-1) में 15 पार्कों का रखरखाव	गैर-तकनीकी	9.95
9	भरतपुर	भरतपुर (एम सी एल)	नगर निगम भरतपुर (ग्रुप-2) में 10 पार्कों का रखरखाव	गैर-तकनीकी	10
10	भरतपुर	भरतपुर (एम सी एल)	नगर निगम भरतपुर (ग्रुप-3) में 10 पार्कों का रखरखाव	गैर-तकनीकी	9.98
11	भरतपुर	भरतपुर (एम सी एल)	नगर निगम भरतपुर (ग्रुप-4) में 10 पार्कों का रखरखाव	गैर-तकनीकी	9.97
12	धौलपुर	धौलपुर (एम)	नगरपालिका क्षेत्र धौलपुर में गौशाला पार्कों का सौंदर्यीकरण	तकनीकी	5
13	धौलपुर	धौलपुर (एम)	नगरपालिका क्षेत्र धौलपुर में लीला बिहार पार्कों का सौंदर्यीकरण	तकनीकी	10
14	धौलपुर	धौलपुर (एम)	नगर निगम क्षेत्र धौलपुर में हाउसिंग बोर्ड पार्कों का सुंदरीकरण	तकनीकी	10
15	करौली	हिण्डौन (एम)	अमृत मित्र अमृत 2.0 के अंतर्गत सार्वजनिक पार्कों एवं खेल के मैदानों का रखरखाव	गैर-तकनीकी	10

16	करौली	हिण्डौन (एम)	सार्वजनिक पार्को और खेल के मैदानों का रखरखाव अमृत मित्र 2.0	गैर-तकनीकी	5
17	सवाई माधोपुर	गंगापुर सिटी (एम)	गंगापुर सिटी में नगरपालिका क्षेत्र के शास्त्री पार्क का सौन्दर्यीकरण एवं वृक्षारोपण	गैर-तकनीकी	2.38
18	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर (एम)	गांधी पार्क नगरपालिका क्षेत्र सवाई माधोपुर में सौंदर्यीकरण एवं वृक्षारोपण कार्य	गैर-तकनीकी	5
19	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर (एम)	महावीर पार्क नगरपालिका क्षेत्र सवाई माधोपुर में सौंदर्यीकरण एवं वृक्षारोपण कार्य	गैर-तकनीकी	10
20	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर (एम)	बाल मंदिर पार्क नगरपालिका क्षेत्र सवाई माधोपुर में सौंदर्यीकरण एवं वृक्षारोपण कार्य	गैर-तकनीकी	8
21	जयपुर	जयपुर हेरिटेज (एमसी)	श्रेडर मशीन का संचालन और रखरखाव	गैर-तकनीकी	3.8
22	जयपुर	जयपुर हेरिटेज (एमसी)	श्रेडर मशीन का संचालन और रखरखाव	गैर-तकनीकी	3.5
23	जयपुर	जयपुर हेरिटेज (एमसी)	श्रेडर मशीन का संचालन और रखरखाव	गैर-तकनीकी	3.5
24	जयपुर	जयपुर हेरिटेज (एमसी)	श्रेडर मशीन का संचालन और रखरखाव	गैर-तकनीकी	3.5
25	जयपुर	जयपुर हेरिटेज (एमसी)	श्रेडर मशीन का संचालन और रखरखाव	गैर-तकनीकी	3.5
26	जयपुर	जयपुर हेरिटेज (एमसी)	श्रेडर मशीन का संचालन और रखरखाव	गैर-तकनीकी	3.5
27	जयपुर	जयपुर हेरिटेज (एमसी)	श्रेडर मशीन का संचालन और रखरखाव	गैर-तकनीकी	3.5
28	जयपुर	जयपुर हेरिटेज (एमसी)	श्रेडर मशीन का संचालन और रखरखाव	गैर-तकनीकी	3.5
29	जयपुर	जयपुर हेरिटेज	सिटी प्रभाग । उत्तर पीएचईडी जयपुर दिशानिर्देशों के अनुसार स्वयं सहायता	तकनीकी	6.95

		(एमसी)	समूहों को संगठित करने के लिए अमृत मित्र के तहत प्रस्तावित कार्य		
30	जयपुर	जयपुर हेरिटेज (एमसी)	सिटी प्रभाग III उत्तर पीएचईडी जयपुर दिशानिर्देशों के अनुसार स्वयं सहायता समूहों को संगठित करने के लिए अमृत मित्र के तहत प्रस्तावित कार्य	तकनीकी	8.11
31	जयपुर	जयपुर हेरिटेज (एमसी)	सिटी प्रभाग II उत्तर पीएचईडी जयपुर दिशानिर्देशों के अनुसार स्वयं सहायता समूहों को संगठित करने के लिए अमृत मित्र के तहत प्रस्तावित कार्य	तकनीकी	6.95
32	सीकर	सीकर (एम सी एल)	नगरपालिका क्षेत्र सीकर में सार्वजनिक पार्कों, पम्प हाउसों का संचालन एवं रख-रखाव	गैर-तकनीकी	10
33	नागौर	डीडवाना (एम)	पाइप लाइनों में गैर कानूनी कनेक्शन की पहचान	तकनीकी	2.4
34	नागौर	डीडवाना (एम)	जल गुणवत्ता परीक्षण शहरी जलापूर्ति योजना डीडवाना जिला डीडवाना कुचामन के अंतर्गत जल गुणवत्ता परीक्षण	गैर-तकनीकी	3.12
35	नागौर	डीडवाना (एम)	शहरी डीडवाना में जल बिल वितरण	तकनीकी	3.6
36	नागौर	डीडवाना (एम)	शहरी डीडवाना वार्ड क्रमांक 1 से 40 तक पाइप लाइनों में गैर-कानूनी कनेक्शन की पहचान	तकनीकी	4.14
37	जोधपुर	जोधपुर दक्षिण (एमसी)	सार्वजनिक पार्कों और खेल के मैदानों का रखरखाव	गैर-तकनीकी	5
38	जोधपुर	जोधपुर दक्षिण (एमसी)	सार्वजनिक पार्कों और खेल के मैदानों का रखरखाव	गैर-तकनीकी	5
39	पाली	पाली (एम सी एल)	मीरा गार्डन और केशव माधव उद्यान, पाली का संचालन और रखरखाव	गैर-तकनीकी	10
40	पाली	पाली (एम सी एल)	अटल वाटिका का संचालन एवं रखरखाव	गैर-तकनीकी	10
41	बूंदी	बूंदी (एम)	वार्ड सं. 57 नगर निगम बूंदी में तारेश पार्क का रखरखाव कार्य	गैर-तकनीकी	4.44
42	बूंदी	बूंदी (एम)	वार्ड सं. 57 नगर निगम बूंदी में स्मृति कुमज पार्क का रखरखाव कार्य	गैर-तकनीकी	4.07
43	बूंदी	बूंदी (एम)	वार्ड सं. 52 नगर निगम बूंदी में रजत गृह वाटर टैंक के पास पार्कों का	एन ऑन- तकनीकी	3.9

			रखरखाव कार्य		
44	बूंदी	बूंदी (एम)	वार्ड सं. 52 नगर निगम बूंदी में रजत गृह गेट नंबर 04 के पास के पार्कों का रखरखाव कार्य	गैर-तकनीकी	4.1
45	बूंदी	बूंदी (एम)	वार्ड सं. 01 नगर निगम बूंदी में नवल सागर पार्क रखरखाव कार्य	गैर-तकनीकी	4.33
46	बूंदी	बूंदी (एम)	वार्ड सं. 51 नगर निगम बूंदी में महाकालेश्वर पार्क का रखरखाव कार्य	गैर-तकनीकी	4.19
47	बूंदी	बूंदी (एम)	वार्ड सं. 45 नगर निगम बूंदी में रामजानकी पार्क जवाहर नगर हाउसिंग बोर्ड रखरखाव कार्य	गैर-तकनीकी	4.03
48	बूंदी	बूंदी (एम)	वार्ड सं. 02 नगर निगम बूंदी में विकास नगर पार्क का रखरखाव कार्य	गैर-तकनीकी	4.23
49	बूंदी	बूंदी (एम)	वार्ड सं. 06 नगर निगम बूंदी में गुरुनानक कॉलोनी पार्क रखरखाव कार्य	गैर-तकनीकी	4.25
50	बूंदी	बूंदी (एम)	वार्ड सं. 02 नगर निगम बूंदी में रखरखाव कार्य बूँदा मीना पार्क	गैर-तकनीकी	3.97
51	बूंदी	बूंदी (एम)	वार्ड सं. 31 नगर निगम बूंदी में आज़ाद पार्क का रखरखाव कार्य	गैर-तकनीकी	5.91
52	उदयपुर	उदयपुर (एम सी एल)	नगर निगम, उदयपुर पार्क परियोजनाएँ 1	गैर-तकनीकी	7.3
53	उदयपुर	उदयपुर (एम सी एल)	नगर निगम पार्क परियोजनाएँ 2	गैर-तकनीकी	6.08
54	उदयपुर	उदयपुर (एम सी एल)	नगर निगम पार्क परियोजनाएँ 3	गैर-तकनीकी	6.08
55	जयपुर	जयपुर ग्रेटर (एमसी)	सिटी उप प्रभाग । उत्तर पीएचईडी जयपुर दिशानिर्देशों के अनुसार स्वयं सहायता समूहों को संगठित करने के लिए अमृत मित्र के तहत प्रस्तावित कार्य	तकनीकी	9.26
56	जयपुर	जयपुर ग्रेटर (एमसी)	सिटी उप प्रभाग । उत्तर पीएचईडी जयपुर दिशानिर्देशों के अनुसार स्वयं सहायता समूहों को संगठित करने के लिए अमृत मित्र के तहत प्रस्तावित कार्य	तकनीकी	9.26
57	जयपुर	जयपुर ग्रेटर (एमसी)	सिटी उप प्रभाग ॥ उत्तर पीएचईडी जयपुर दिशानिर्देशों के अनुसार स्वयं सहायता समूहों को संगठित करने के लिए अमृत मित्र के तहत प्रस्तावित कार्य	तकनीकी	9.26

58	जयपुर	जयपुर ग्रेटर (एमसी)	सिटी उप प्रभाग III उत्तर पीएचईडी जयपुर दिशानिर्देशों के अनुसार स्वयं सहायता समूहों को संगठित करने के लिए अमृत मित्र के तहत प्रस्तावित कार्य	तकनीकी	9.26
59	जयपुर	जयपुर ग्रेटर (एमसी)	सिटी उप प्रभाग III उत्तर पीएचईडी जयपुर दिशानिर्देशों के अनुसार स्वयं सहायता समूहों को संगठित करने के लिए अमृत मित्र के तहत प्रस्तावित कार्य	तकनीकी	9.26
60	जयपुर	जयपुर ग्रेटर (एमसी)	सिटी उप प्रभाग IV उत्तर पीएचईडी जयपुर दिशानिर्देशों के अनुसार स्वयं सहायता समूहों को संगठित करने के लिए अमृत मित्र के तहत प्रस्तावित कार्य	तकनीकी	8.11
